अपनी संतान के स्कूल पर रेसीज़्म (जातिवाद) और भेदभाव की सूचना कैसे दें

Hindi

आपकी संतान को यह अधिकार है कि स्कूली समुदायों में उसका सम्मान किया जाए, उसकी कदर की जाए और उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए।

धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यदि आप किसी ऐसे बच्चे/बच्ची के माता-पिता या देखभालकर्ता हैं जिसने अपने स्कूल में धार्मिक या जातीय भेदभाव या दुर्व्यवहार का अनुभव किया है या देखा है, तो हम आपको इसकी सूचना देने के लिए बढ़ावा देते हैं।

स्कूल के कर्मचारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उचित कार्यवाही की जाए और समर्थन प्रदान किया जाए।

आप स्कूल या क्षेत्रीय कार्यालय पर इस घटना के बारे में औपचारिक शिकायत करना चाह सकते/सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित वेबसाइट देखें:
अपने स्कूल के बारे शिकायत करें या चिंता प्रकट करें (education.vic.gov.au)

रेसीज़्म की सूचना देने की हॉटलाइन (REPORT RACISM HOTLINE) पर घटना की सूचना दें

Report Racism Hotline

1800 722 476

report.racism@education.vic.gov.au

यह हॉटलाइन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपलब्ध है, सार्वजनिक अवकाश के दिनों के अलावा।

यदि आप अपनी संतान के स्कूल पर घटना की सूचना देने को लेकर सहज महसूस नहीं करते/करती हैं, या आप स्कूल के जवाब से प्रसन्न नहीं हैं, तो आप विभाग की Report Racism Hotline से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

जब आप हॉटलाइन को फोन करें, तो आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे/होंगी:

- शिकायत करने की चर्चा करने में
- उपलब्ध विकल्पों और इस बात पर ग़ौर करने में कि आप आगे क्या कर सकते/सकती हैं
- क्षेत्रीय अधिकारियों और सहायता सेवाओं से संपर्क करने में सहायता प्राप्त करने में।

PARENTLINE के माध्यम से टेलीफोन पर सलाह-मशवरा और समर्थन प्राप्त करें

Parentline

13 22 89

www.parentline.vic.gov.au

Parentline सार्वजनिक अवकाश के दिनों सहित सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से लेकर मध्यरात्रि तक उपलब्ध है।

आप विभाग से स्वतंत्र प्रशिक्षित सलाहकार से सलाह-मशवरा और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए Parentline से भी संपर्क करना चाह सकते/सकती हैं।

Parentline जन्म से लेकर 18 साल तक की आयु वाले बच्चों के माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए एक गोपनीय और गुमनाम सलाहकारी टेलीफोन सेवा है।

सलाहकार स्कूल में भेदभाव या दुर्व्यवहार सहित परवरिश से जुड़े कई मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए उपलब्ध होते हैं।

उपयोगी जानकारी

स्कूलों में धार्मिक या जातीय भेदभाव और दुर्व्यवहार की सूचना देने के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें:
अपने स्कूल के बारे शिकायत करें या चिंता प्रकट करें (education.vic.gov.au)

जातीय तौर पर बुलिंग किए जाने अर्थात डराए-धमकाए जाने सहित बुलिंग पर प्रतिक्रिया करने के बारे में और अधिक जानकारी तथा संसाधनों के लिए, निम्नलिखित वेबसाइट देखें:
बुलिंग को रोकने वाले (Bully Stoppers) (education.vic.gov.au)

राष्ट्रीय अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS)

जिन माता-पिता या देखभालकर्ताओं को दुभाषिया सेवाओं की ज़रूरत है वे राष्ट्रीय अनुवाद एवं दुभाषिया सेवाओं (TIS) को 13 14 50 पर फोन करके विभाग या Parentline से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

THE EDUCATION STATE
VICTORIA State Government | Education and Training